अति तत्काल

आर टी आई मामला

सं. 14036/372/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 21 मई, 2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,
लोक सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमान~~/~~श्रीमती~~ कन्हैया लाल सेठ .... द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 18.4.2013 के उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 9.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अत: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपयुक्त कार्रवाई करने तथा उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना प्रदान करने हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क ~~इस मंत्रालय~~/------------------में जमा कर दिया गया है।

भवदीया,

(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी पी-II)

दूरभाष : 23092856

Issued with encl. 1404/1409 21/5.

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

श्री/~~श्रीमान~~/~~श्रीमती~~ कन्हैया लाल सेठ, पुत्र स्व. श्री मंगल सैन सेठ वार्ड नं. 5बी/4, तिहाड़ जेल नं. 3, नई दिल्ली-110064

इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

F- 12015/219/2013-RTI

925

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव सा० (गृह)
(भारत सरकार)
नोर्थ ब्लाक कार्यालय, नई दिल्ली,

विषय :- सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना।

माननीय श्री मान जी,

प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का सम्बन्ध प्रार्थी के जिवन व स्वतन्त्रता से है, कृपया प्रार्थी को, प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना 48 घन्टे के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

श्री मान जी, प्रार्थी को भारत सरकार की दिल्ली पुलिस ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाऐं पार करते हुए, गैर संवेधानिक तरीके से केस लगाकर, दिल्ली तिहाड़ जेल में करीब साढ़े आठ साल से बन्द कराया हुआ है।

दिल्ली की भ्रष्ट पुलिस ने, प्रार्थी को, सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005, के तहत सूचना मांगने पर (जिससे पुलिस द्वारा बनाये गये झूठे रेप केस का खुलासा होने के डर से) झूठा केस लगाकर फंसाया गया है।

प्रार्थी पर जो केस लगाया गया है वह केस P.S.: NDLS. का है जिसका F.I.R. No. 147/04, dt. 19/04/2004. है और यह केस धारा: 302, 201. I.P.C. का है, इस केस में पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा :- 173. के अन्तर्गत, अन्तिम रिर्पोट, जाबता फौजदारी, भी दिनांक 01/06/2005 को दाखील कर चुके थे, जिसमें बनाये गये मुजरिमों के रंगीन इस्तेहार/पोस्टर भी जारी किये गये थे और मुजरिमों के बाबत सूचना देने वाले को 10,000/= रू० ईनाम देने की घोषणा की गई थी।

भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने इस कार्यवाही पर पर्दा डालकर, दुबारा, एक नई कहानी बनाकर उपरोक्त केस प्रार्थी पर थोंप दिये, और अदालत में ट्रायल चालू हो गया, प्रार्थी ने इस बाबत चालान मिलने के बाद, अदालत को इस बाबत समझाने की और पुलिस द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने की बहुत कौशीश की, और उपरोक्त केस में भगोड़े मुजरिमों के इस्तेहार, और पुलिस द्वारा जमा की गई अन्तिम रिर्पोट, अदालत में मंगाकर, उसकी एक-एक कोपी देने की मांग की, लेकिन भ्रष्ट पुलिस ने और अदालत ने नहीं सुनी, (कोपीयां नहीं दी,)।

प्रार्थी ने इस्तेहार और अन्तिम रिर्पोट की कोपीयां लेने हेतू माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 15/09/2010 को अपील दायर की जिसपर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रार्थी की अपील नं० CIC/SS/A/2010/000906 और 000679 पर दिनांक 03/02/2012 को

Cont... 2 - - - -

Recd on
26.04.2013

आर्डर पास करके. प्रार्थी को उपरोक्त केस में बनाये गये भगोड़े मुजरिमों के इश्तेहार और पुलिस द्वारा दाखिल की गई अन्तिम रिपोर्ट की कापीयां पुलिस महकमें से दिलवाई, जिसकी फोटो कापीयां 12 पेज साथ संलग्न हैं. और मुजरिमों के इश्तेहार अदालत की फाईल में मौजूद हैं।

मानयीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिसका प्रावधान न हो वह दंड नहीं दिया जा सकता।

अतः प्रार्थी मानयीय मुख्य सचिव (गृह) भारत सरकार नोर्थ ब्लाक कार्यालय, नई दिल्ली, से प्रार्थना करता है कि कृप्या प्रार्थी को सूचना दें:-

✓No.1 ----- जिस किसी भी केस में Final Report, Under Section 173, Criminal Procedure Code, (एक साल से ज्यादा समय तक तफतीश करने के बाद) दाखिल की गई हो, और जिसमें मुजरिमों के इश्तेहार भी जारी किये गये हो, ऐसा केस एक नई कहानी बनाकर किसी अन्य व्यक्ति/महिला पर लगाया जा सकता है?

कृप्या इस बाबत जानकारी/सूचना दें,

✓No.2 ----- किसी व्यक्ति/महिला के रंगीन इश्तेहार जारी करके पुलिस द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करके, उसको पकड़वाने पर ईनाम की घोषणा के बाद भी पकड़ में ना आने पर कई साल के बाद, उसी केस में किसी अन्य व्यक्ति/महिला को भगोड़े मुजरिमों की जगह मुजरिम बनाया जा सकता है? पुलिस द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया अपराधी जिसके इश्तेहार भी जारी किये गये हो, उसकी जगह, नई कहानी बनाकर वह केस किसी अन्य दूसरे व्यक्ति/महिला पर लगाकर उन्हें जेल में डलवाया जा सकता है: क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है।

कृप्या इस बाबत पूर्ण जानकारी/सूचना दें,

✓No.3 ----- किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित किया जा सकता है.?

प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में कानूनी प्रावधान है तो कृप्या प्रार्थी को उस प्रावधान की कोपी सहित सूचना दें,

अन्यथा प्रार्थी को गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाकर न्यायिक हिरासत में रखने का कारण बताये।

कृप्या प्रार्थी को मांगी गई सूचना 48. घन्टे के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें,

प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

धन्यवाद सहित
दिनांक 18/04/2013,
समय दुपहर 01,00 बजे
स्थान दिल्ली सैन्ट्रल
द्वारा रजि० पोस्ट,
I.P.O. No. 03F 420660.

प्रार्थी
[signature]
कन्हैया लाल सेठ पुत्र स्वि० श्री मंगल सैन सेठ
U/T. वार्ड न०. 5 B/4.
तिहाड़ जेल न०. 3,
नई दिल्ली - 110064